प्रेस नोट–2026 / 36 दिनांक 14 जुलाई 2026

प्रेस विज्ञप्ति

एसआईआर के पहले चरण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी

– ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल हुए 71,33,785 मतदाता
– फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र देना होगा अनिवार्य
– प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 11733 से बढ़कर हुई 12543

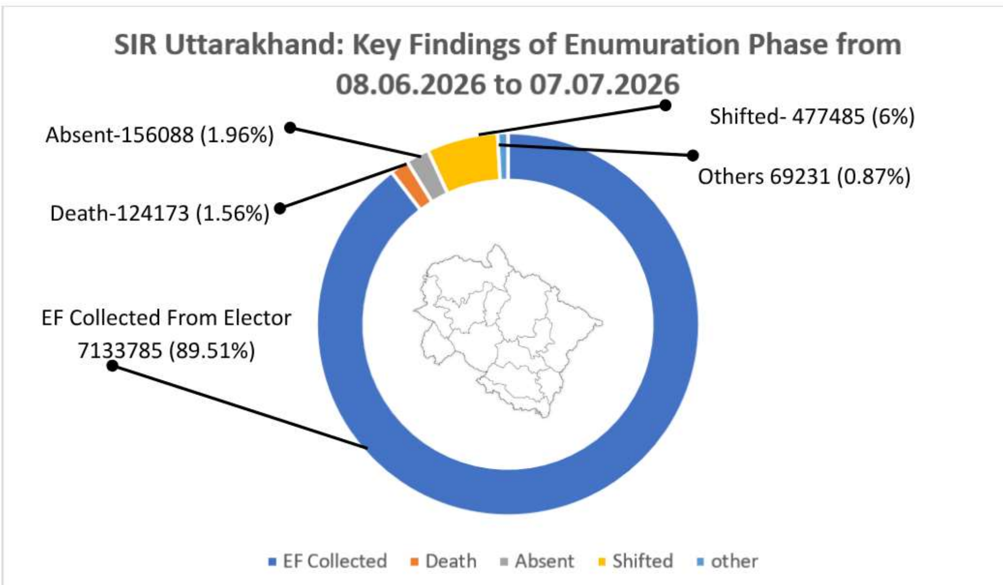

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का दिनांक 14 जुलाई 2026 को प्रकाशन कर दिया गया है। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने मंगलवार को मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपादित की जा रही है। प्रदेश में 8 जून से 7 जुलाई तक गणना पत्रों के वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में 11733 मतदान केंद्रों के सापेक्ष वर्तमान में मतदान केंद्रों की संख्या 12543 हो गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि

आयोग द्वारा मतदाता को 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच फार्म 6,7 और 8 पर दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस की अवधि एवं दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को किया जाएगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल 71,33,785 मतदाताओं में से लगभग 19 लाख मतदाताओं में विभिन्न प्रकार की विसंगति प्राप्त हुई जिन्हें सम्बंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नोटिस की सुनावाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कल्सटर में कैंम्प लगाए जाएंगे, इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील के अतरिक्त नगर निगम,नगर पंचायत और वार्ड लेवल पर कैंप लगाने के भी निर्देश डीईओ/ईआरओ को दिए गए हैं।

फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र देना अनिवार्य

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है वे फार्म 6 भरकर अपने नाम दर्ज करवाने हेतु ऑफलाइन मोड में अपने सम्बंधित बीएलओ से और ऑनलाइन मोड में ईसीआईनेट ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फार्म 7 आरै 8 के जरिए नाम हटवाने और नाम में सुधार किया जा सकता है। वर्तमान में फार्म6 और 8 के साथ एनेक्चर 4 भरना अनिवार्य है।

निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों की सूची
1. किसी भी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01.07.1987 से पूर्व भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकारी/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट।
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या किसी भी जाति का प्रमाण पत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ कहीं अस्तित्व में हो)।
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
12. आधार के संबंध में, आयोग के निर्देश, पत्र संख्या 23/2025–ERS/Vol-II दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से जारी, लागू होंगे।

PRESS CONFERENCE

REG. SPECIAL INTENSIVE REVISION (SIR-2026)

DATE : 14-07-2026 AT 3:00 PM

Venue :- MEDIA CENTER

SPECIAL INTENSIVE REVISION (SIR-2026)

Publication of Draft Electoral Roll

14-07-2026

Period for Filling claim & objections

14-07-2026 to 13-08-2026

Notice phase

14-07-2026 to 11-09-2026

Disposal of claim & objections.

14-07-2026 to 11-09-2026

Publication of Final Electoral Roll.

15-09-2026

SPECIAL INTENSIVE REVISION (SIR-2026)

Total Voters

71,33,785

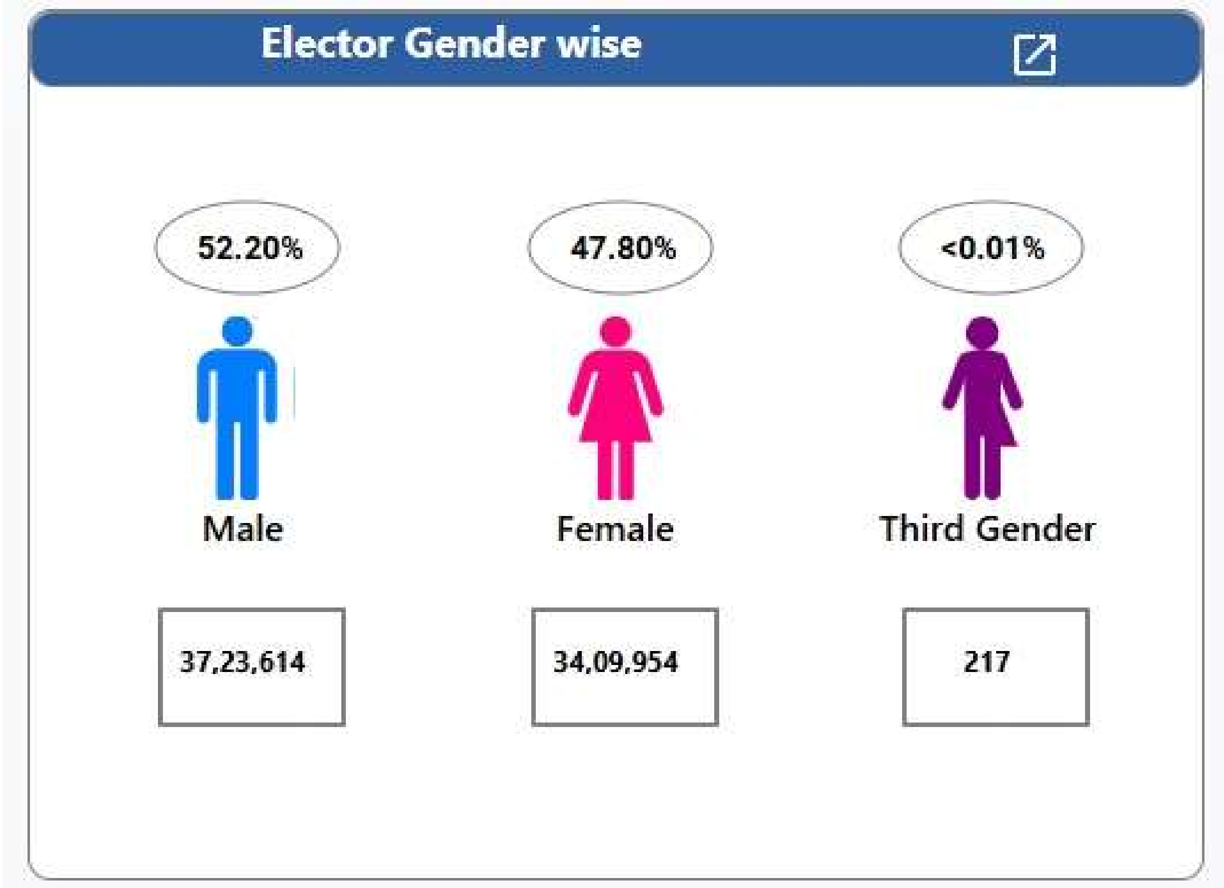

SPECIAL INTENSIVE REVISION (SIR-2026)

Uttarakhand Elector All Districts as Draft Roll

S.No.	District Name	Male	Female	Third Gender	Total
1	Haridwar	664795	581323	101	1246219
2	Nainital	361533	331781	11	693325
3	Almora	246337	225596	5	471938
4	Udham Singh Nagar	606826	548817	29	1155672
5	Pithoragarh	174190	167304	3	341497
6	Bageshwar	103273	97646	0	200919
7	Champawat	99449	89474	1	188924
8	Chamoli	139995	132191	1	272187
9	Uttarkashi	116993	107423	1	224417
10	Rudraprayag	91268	89518	0	180786
11	Tehri Garhwal	241352	222272	4	463628
12	Pauri Garhwal	262254	241205	9	503468
13	Dehradun	615349	575404	52	1190805
Total		**3723614**	**3409954**	**217**	**7133785**

SPECIAL INTENSIVE REVISION (SIR-2026)

District wise ASDD Electors Details

S. No.	District Name	Total Electors	EFs Digitized	EFs Digitized %	Total Uncollectable (ASDD)	Total Uncollectable %
1	Uttarkashi	242822	224417	92.42	18405	7.58
2	Chamoli	295623	272187	92.07	23436	7.93
3	Rudraprayag	191595	180786	94.36	10809	5.64
4	Tehri Garhwal	507253	463628	91.40	43625	8.60
5	Dehradun	1376813	1190805	86.49	186008	13.51
6	Haridwar	1376422	1246219	90.54	130203	9.46
7	Pauri Garhwal	554827	503468	90.74	51359	9.26
8	Pithoragarh	368933	341497	92.56	27436	7.44
9	Bageshwar	213929	200919	93.92	13010	6.08
10	Almora	527423	471938	89.48	55485	10.52
11	Champawat	206642	188924	91.43	17718	8.57
12	Nainital	765135	693325	90.61	71810	9.39
13	U.S.Nagar	1333345	1155672	86.67	177673	13.33
Total		7960762	7133785	89.61	826977	10.39

SPECIAL INTENSIVE REVISION (SIR-2026)

District-wise SERVICE Electors Details

SR.No	District Name	Male	Female	Total Count
1	HARIDWAR	2132	129	2261
2	NAINITAL	4754	257	5011
3	ALMORA	6143	201	6344
4	UDHAM SINGH NAGAR	5180	341	5521
5	PITHORAGARH	12607	409	13016
6	BAGESHWAR	3881	101	3982
7	CHAMPAWAT	2910	123	3033
8	CHAMOLI	9565	171	9736
9	UTTARKASHI	3218	65	3283
10	RUDRAPRAYAG	4949	51	5000
11	TEHRI GARHWAL	5223	85	5308
12	PAURI GARHWAL	14320	249	14569
13	DEHRADUN	8887	482	9369
	Total	83769	2664	86433

District-wise Anomalies: Electors Details

AC No. & Name	Total Electors	Total Anomalies found buy System	% of Anomalies
1- Uttarkashi	224417	55976	25
2-Chamoli	272187	52246	19
3-Rudraprayag	180786	42469	23
4-Tehri Garhwal	463628	104402	23
5-Dehradun	1190805	395868	33
6-Haridwar	1246219	390312	31
7-Pauri Garhwal	503468	105945	21
8-Pithoragarh.	341497	70065	21
9-Bageshwar	200919	40998	20
10-Almora	471938	77566	16
11-Champawat	188924	44315	23
12-Nainital	693325	188054	27
13-U.S. Nagar	1155672	336164	29
Total-	7133785	1904380	27

विशेष गहन पुनरीक्षण –2026

मतदाताओं की श्रेणी, जिन्हें नोटिस जारी किए जाऐगें :-

1. अनमैप्ड इलेक्टर,
2. मैप्ड इलेक्टर, किन्तु कोई विसंगति है,
3. फार्म–6, 7, 8 पर प्राप्त दावे/आपत्तियां

विशेष गहन पुनरीक्षण –2026

यह केवल सांकेतिक रणनीति/कार्ययोजना है, ईसीआई नेट में नोटिस जनरेट करने की सुविधा उपलब्ध होने की तिथि के अनुरूप परिवर्तनीय होगी

1. नोटिसों की बूथवार पीडीएफ जनरेट करना 16.07.2026 तक
2. नोटिसों की प्रिन्टिंग करना 20.07.2026 तक
3. नोटिसों का वितरण/तामीली करना 25.07.2026 से 17.08.2026 तक
4. चरणवद्ध रूप से नोटिसों की सुनवाई/निस्तारण 24.08.2026 तक
5. फार्म–6,7 एवं 8 एवं तद् विषयक नोटिसों का निस्तारण 31.08.2026 तक

भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India

विशेष गहन पुनरीक्षण –2026

उत्तराखण्ड राज्य

❖ विसंगतियों (**Anomalies**) के प्रकार :-

1. मतदाता एवं उसके माता–पिता के बीच आयु का अन्तर **<15**
2. मतदाता एवं उसके माता–पिता के बीच आयु का अन्तर **>50**
3. मतदाता एवं उसके दादा–दादी/नाना–नानी के बीच आयु का अन्तर <40
4. दो भाई या भाई–बहन के बीच आयु का अन्तर <9 माह
5. एक ही मतदाता के साथ प्रोजनी के रूप में >6
6. मतदाता के सम्बन्धी के नाम में कोई विसंगति (सेल्फ/प्रोजनी)
7. मतदाता के स्वयं के नाम में कोई विसंगति
8. लास्ट एस.आई.आर. की मतदाता सूची में अनमैप्ड

विशेष गहन पुनरीक्षण –2026

डॉक्यूमेंटस की सांकेतिक (सम्पूर्ण नहीं) सूचीः–

1

किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार /पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के नियमित कर्मचारी/ पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

2

01.07.1987 से पहले भारत में, सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट।

3 & 4

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट

5 & 6

- मान्यता प्राप्त बोर्डों, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन, शैक्षिक प्रमाण पत्र।
- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

7 & 8

- वन अधिकार प्रमाण पत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओ.बी.सी. या एस.सी. या एस.टी. या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।

9

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी यह मौजूद हो)

10

किसी भी विधिक या, प्रशासनिक विनियम के तहत सरकारी अधिकारियों द्वारा रखा गया परिवार रजिस्टर

11

सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

12

आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या–23/2025-ERS/Vol-II दिनांक 09.09.2025 (एनेक्सर–II) के माध्यम से जारी किए गए निर्देश, लागू होंगें।

THANK YOU

“No Eligible Voter to be left Behind”